


13.03.2024:-पत्रावली आज वादी रूपराम जरिये अधिवक्ता श्री मनोज अरोडा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारों का पचायत एवं रिश्तेदारों ने राजीनामा करवा दिया है। इसलिए वादी अब इस दावा को नहीं चलाना चाहते। वादपत्र को इसी स्तर पर खारिज करवाया जावे। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी के फर्द अहकाम पर अगुठा/हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता श्री मनोज अरोडा द्वारा कि गई। पक्षकारान का राजीनामा हो जाने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वादी का वादपत्र मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।


 सहायक कलक्टर
 एवं उपखण्ड अधिकारी
 हनुमानगढ़

वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53.

88, 188 आर टी एक्ट

रूपराम पुत्र श्री रामचन्द्र उर्फ हरचन्द्र जाति
 हनुमानगढ़।

बनाम

- 1- किशना राम पुत्र श्री रामचन्द्र उर्फ हरचन्द्र
 जिला हनुमानगढ़।
- 2- दया राम पुत्र श्री रामचन्द्र उर्फ हरचन्द्र
 जिला हनुमानगढ़।
- 3- तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

वाद बाबत खाता

स्थायी निषेधाज्ञा

श्रीमान जी,

वाद वादी निम्न प्रकार से है

- 1- यह कि वादी व प्रतिवादीगण का पंजीबद्ध है।
- 2- यह कि वादी व प्रतिवादीगण के नाम से जी पटवार हल्का 19 एस टी जी तहसील तफसील निम्न है :-

चक न.

19 एस टी जी

प.न.

67/302

